फर्द अहकाम

ऐश्वर्य सिंह बनाम भोल्या वगैरा

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जयपुर ग्रामीण

81/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2/04/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेशार्थ नियत थी। पत्रावली में उपलब्ध प्रा.पत्र, जवाब प्रा.पत्र, प्रारम्भिक आ० प्र० व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा वकील उभय पक्षों की बहस को मनन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट. को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर जारी किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद प्रति होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

(43)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
023	12 / 06 / 2023	02 / 04 / 2024

—उनवान—

श्वर्य सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 2172, सानकोटडा हाउस लूट मण्डी जौहरी बाजार जयपुर राजस्थान जरिये बहैसियत मुख्त्यारआम श्रीमति राजेश्वरी पत्नि देलीपसिह जाति राजपूत निवासी प्लाट 44 इन्द्रा कॉलोनी बनीपार्क जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

मोल्या पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी बन्ना की ढाणी, ग्राम सानकोटडा, तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।
वन्द्रसिंह पुत्र स्व0 बिरजू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हिंगोलीया तहसील बसवा जिला दौसा।
प्रतापसिंह पुत्र स्व0 फतेहसिंह
उम्मेद सिंह पुत्र स्व0 फतेहसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम सानकोटडा तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।
राज0 सरकारा जरिये तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

स्थित अभिभाषक
त्यपाल गुर्जर :— वकील प्रार्थी।
ामकरण शर्मा :— वकील अप्रार्थी सं0 2

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

—: निर्णय :—

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता सं0 128 के खसरा नम्बर 607 रकबा 1.0100 खसरा नम्बर 610 रकबा 1.0100 है0, खसरा नम्बर 622 रकबा 1.0100 है0, कुल किता 3 कुल ा 3.03 है0 ग्रामतन सानकोटडा पटवार हल्का सानकोटडा तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित ी काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का हक व अधिकार नही है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते है तथा ा को लेकर लडाई झगडा करते रहते है तथा आये दिन प्रार्थी को हेरान परेशान करते रहते है। ी की उक्त खातेदारी भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है लेकिन र्थीगण व उनके परिवारजन आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमा को लेकर लडाई झगडा करते रहते तथा प्रार्थी की भूमियों में प्रवेश कर अतिकमण करने की कुचेष्ठा कर रहे है तथा प्रार्थी ने अपनी ियों का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 29.04.2023 को करवा चुका है जिसके बावजूद अप्रार्थीगण प्रार्थी की की सीमाओं में प्रवेश कर अतिकमण करना चाहते है जिससे प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमियों की ना पत्थरगढी करवाकर सीमा चिन्हित कर सके तथा जिससे की भविष्य में किसी प्रकार का सीमा ाद उत्पन्न ना हो। जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। अतः ना पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के चारों तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल रगढी मय पुलिस जाप्ता के साथ टीम गठित कर पत्थरगढी के आदेश फरमाया जावें।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

(2/3)

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से ी गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा ने दिनांक 26.09.23 को नामा पेश किया तथा दिनांक 11.03.24 को जवाब मय प्रा0 आपत्ति पेश की। जिसे शामिल किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1,3, 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित इनके विरूद्व दिनांक 26.09.23 तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 5 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आर.टी. /774 दिनांक 18.9.23 द्वारा रिपोर्ट पेश कर रिपोर्ट में निवेदन किया कि ग्राम सानकोटडा पटवार सानकोटडा खाता संख्या 128 खसरा नम्बर 607/1.01है0, 610/1.01है0, 622/1.01है0 किस्म 3 खातेदार रामेश्वरी पत्नी स्व0 दिलीप सिंह हिस्सा सम्पूर्ण जाति राजपूत सा0 44 इन्द्रा कॉलोनी, , जयपुर खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा वर्तमान में मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर फसल नही है सी–पडौसी खसरा नम्बर में फसल होने के कारण वर्तमान समय में पत्थरगढी नही किया जाना होगा। उक्त खसरा नम्बरों का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को हुए वादग्रस्त उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया तथा अप्रार्थी सं0 2 ने दिनांक 11.03.24 को प्रस्तुत जवाब मय प्रा0 आपत्ति में अंकित बिन्दूओं को हुये निवेदन किया कि प्रारम्भिक आपत्ति –अप्रार्थी सं0 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि हाल खसरा 601/665 रकबा 1.0100 है0 है जो कि ग्राम सानकोटडा में स्थित है। तथा प्रार्थी ने तथ्य र मिथ्या आधारो पर बिना पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाये ही उक्त मिथ्या प्रकरण प्रस्तुत है जो खारिज फरमाया जावें। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 607, 610, 622 जिनके चारों लगती हुई खातेदारी भूमियों खसरा नम्बर 603, 612, 611, 609, 608, 605, 606, 621, 617 की ारी भूमियां लगती हुई स्थित है। तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमियों की पत्थरगढी करवाने से डौसी सभी काश्तकारों को पक्षकार बनाया जाकर उनकी विधिवत सुनवाई की जाकर ही पत्थरगढी ा सकती है। ऐसी स्थिति में पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक है। पर प्रार्थी का कब्जा नही है तथा कब्जा के अभाव में पत्थरगढी की कार्यवाही किया जाना संभव है तथा पत्थरगढी की आड मे कब्जाधारी को बेकाबिज नही किया जा सकता है ऐसी स्थिति में का प्रा0 पत्र कब्जा के अभाव में खारीज फरमाया जावें। प्रकरण में दर्ज अप्रार्थी संख्या 5 ोलदार आंधी मौका व हाल व साबिक नक्शें के बारे में सही जानकारी भी तहसीलदार ही दे सकता सी स्थिति में तहसीलदार से हाल नक्शा व साबिक नक्शा की रिपोर्ट लिये बगैर पत्थरगढी किया न्यायोचित नही है।

जवाब प्रार्थना पत्र – प्रा0पत्र में मद सं0 1 में वर्णित भूमि प्रार्थी के नाम होना मात्र स्वीकार है ु उक्त भूमियों पर प्रार्थी का किसी भी प्रकार से कोई कब्जा काश्त नही है तथा मौका स्थिति एवं स्व नक्शा में अन्तर है तथा उक्त भूमियों के लगवा खसरा नम्बर 607, 610, 622 जिनके चारों तरफ ती हुई खातेदारी भूमियों खसरा नम्बर 603, 612, 611, 609, 608, 605, 606, 621, 617 की खातेदारी यां लगती हुई स्थित है। जिन खातेरों को प्रकरण में पक्षकार अप्रार्थी बनाया जाना कानूनन आवश्यक प्रा0पत्र का मद सं0 2 में वर्णित तथ्यों में 'सीमा को लेकर लडाई झगडा करते रहते है तथा आये हेरान पेरशन करते रहते है' उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी का मौके पर कब्जा नही है एवं प्रार्थी पडौसी खातेदारान को पक्षकार संयोजित प्रकरण में नही किया है तथा पडौसी खातेदारान सभी को कार बनाया जाना कानूनन आवश्यक है। बिन्दू सं0 3 आधारहीन होने अस्वीकार है। मौके पर कभी सीमाज्ञान के लिये पटवारी हल्का व तहसीलदार नही गये है तथा बिना मौके पर गये ही फर्द मौका ार किया गया है जबकि प्रार्थी का वादांकित भूमियों पर कब्जा ही नही है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का पत्र खारिज फरमाया जावें। मद सं0 5 अस्वीकार है जब प्रार्थी का मौके पर कब्जा ही नही है तो थरगढी की आड में प्रार्थी कब्जाधारियों को बेकाबिज कर कब्जा करना चाहता है जबकि प्रार्थी का थरगढी की आड में बेकाबिज करने का कोई अधिकार नही है। अतः ग्राम सानकोटडा तहसील आंधी स्थित भूमियों खसरा नम्बर 607, 610, 622 जिनके चारों तरफ लगती हुई खातेदारी भूमियों खसरा बर 603, 612, 611, 609, 608, 605, 606, 621, 617 की खातेदारी भूमियां लगती हुई स्थित है को कार बनाया जाना कानूनन आवश्यक है तथा कब्जा के अभाव में व नक्शा में अंतर होने के कारण थरगढी किया जाना संभव नही है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया वें।

उप खण्ड अधिकारी
जगवारामगढ़

3/3

वकील उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र, जवाब प्रा0 ारम्भिक आपत्ति प्रा0 पत्र व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ा धारा 128 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम टडा, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता सं0 128 के खसरा नम्बर 607 रकबा 1. है0, खसरा नम्बर 610 रकबा 1.0100 है0, खसरा नम्बर 622 रकबा 1.0100 है0, कुल किता 3 कुल 3.03 है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों ाजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की ाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित र प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 02/04/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया

उप खण्ड अधिकारी

ललित मीना
उपखण्ड अधिकारी
जगवारामगढ